



T.B  
3.02.18


अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय

अनुसूचि 14 फारम सं० 563

मिस केस नं० 130/17

आदेश की क्रम सं० और तारिख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर धारा - 107 द० प्र० सं० 2	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारिख के साथ 3
13.07.17	<p>नरहरि मधौ वनाम नलीक मधौ</p> <p>थाना प्रभारी: <u>साठालिया</u> ने अप्राथमिकि सं० <u>15/17</u> के द्वारा सूचित किया है कि <u>जमीन विवाद</u> को लेकर दोनो पक्षों से शांति भंग की सम्भावना है अतः उन्होंने दोनो पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करने का अनुरोध किया है।</p> <p>थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त कारण से दोनो पक्षों से शांती भंग की सम्भावना है अतः धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही दोनो पक्षों के विरुद्ध प्रारम्भ की जाती है। सुचना निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग करें कि एक साल तक शांति बनाये रखने हेतु प्रत्येक से तीन-तीन हजार रुपये का बंध पत्र दो प्रतिभु के साथ प्रत्येक उसी राशि का दाखिल करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>4.08.17</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">लेखापति</p> <p style="text-align: center;"> अनुमण्डल पदाधिकारी सरायकेला</p> <p>1-08-17- डा. गिलेश्वर उपस्थापित किया गया द्वितीय पत्र 1/1 सफ़्त्य वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर डी/ए हेतु समग्र की मांग की गई। प्रथम पत्र के 1/1 सफ़्त्य (अस्थित) के डी/ए हेतु समग्र की मांग कर रहे हैं। अभिलेख दिनांक- 2/08/17 को रखी।</p> <p style="text-align: right;"> 10/11/17</p>	<p>प्रथम पत्र 21.08.17 6.09.17 29.9.17 18.10.17 3.11.17 14.11.17 28.11.17 12.12.17 29.12.17 19.01.18 30.01.18 13.02.18</p> <p>द्वितीय पत्र</p>



आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख सहित 3
29.12.17	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया प्रथम पक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व हाजिर की गई निवृत्ति पक्ष ॥ सदस्य गवाह के साथ उपस्थापित पीठा पढा अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 19.01.18 को उपस्थापित करें</p>	
19.01.18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया प्रथम पक्ष ॥ सदस्य उपस्थापित पक्ष ॥ सदस्य गवाह के साथ उपस्थापित पीठा पढा अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 30.01.18 को उपस्थापित करें</p>	
30.01.18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया प्रथम पक्ष ॥ सदस्य उपस्थापित पक्ष ॥ सदस्य गवाह के साथ उपस्थापित होकर तीन महीने अवधि बिलम्बर हेतु अनुसूचि किया है जिन जाग है पीठा पढा अन्य कार्य में व्यस्त। अभिलेख दिनांक 13.02.18 को उपस्थापित करें</p>	
13.02.18	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया प्रथम पक्ष की ओर से निवृत्ति प्रतिनिधित्व के माध्यम से हाजिर की गयी। अभिलेख उपस्थापित है। अन्तः पक्ष की जापवकी मजहूर से जाति है।</p> <p style="text-align: right;">               दिनांक 13.02.18         </p>	